

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 2014/RS(G)/779/11

New Delhi, dt. 24.11.2014

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS

Sub: Post contract amendments in the contract - Simplification.

With a view to simplify and expedite the process of post contract amendments in contracts, existing system is reviewed and it is decided that following amendments shall not require concurrence/vetting from finance:-

- (a) Change in the name of firm where competent purchase officer is satisfied about legal aspect of change in name of firm and/or vendor approving authority has approved change of name.
- (b) To correct typographical errors in the contract. However, if typographical error is not very clear and needs interpretation and is related to calculation of amount/tax/freight etc.; finance should be consulted.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate.


(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)
Railway Board

No. 2014/RS(G)/779/11

New Delhi, dt. 24.11.2014

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways


for Financial Commissioner / Railways

No. 2014/RS(G)/779/11

New Delhi, dt. 24.11.2014

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTE, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors—
 - (a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - (b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - (c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - (d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 - (e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune

- (f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur


(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)
Railway Board

No. 2014/RS(G)/779/11

New Delhi, dt. 24.11.2014

Copy to:

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan


(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/आरएस(जी)/779/11

नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2014

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण), कोर
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं./लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई
दिल्ली, रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली/नई दिल्ली

विषय: ठेका देने के बाद संविदा-पत्र में संशोधन - सरलीकरण

ठेका देने के बाद संविदा-पत्रों में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए मौजूदा प्रणाली की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित संशोधनों के लिए वित्त विभाग की सहमति/विधीक्षा की आवश्यकता नहीं है:-

- (क) जहां फर्म के नाम में परिवर्तन के कानूनी पहलू के बारे में सक्षम खरीद अधिकारी संतुष्ट हो और/या वेंडर की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी ने नाम में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी हो, तो फर्म के नाम में परिवर्तन करना।
- (ख) संविदा-पत्र में मुद्रण की गलती को सही करना। बहरहाल, यदि मुद्रण की गलती स्पष्ट न हो और उसकी व्याख्या की आवश्यकता हो और वह धन/कर/मालभाड़े आदि की गणना से संबंधित हो तो वित्त विभाग से संपर्क करना चाहिए।

इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेल भण्डार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/आरएस(जी)/779/11

नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीजल आधुनिकीकरण कारखाना।
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

अशोक
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2014/आरएस(जी)/779/11

नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला।
2. निदेशक-
 - क) भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
 - ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
 - ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
 - घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), एनएआईआर, वडोदरा।
 - ड.) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
 - च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।
3. निदेशक, लोहा एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अअमासं, लखनऊ।
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर।

रान्तोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड

सं. 2014/आरएस(जी)/779/11

नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ़ोआ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

रान्तोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड